

अभिलेख वाद संख्या-

124/16 मंजूर

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- रवारा थाना- 346 खाता संख्या- 45, प्लॉट संख्या- 83, 293, रकबा- 2.42 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 61/2 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

अ.म.०.म.

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 16/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- *बिजीज मंग*
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- *5/0 राजा मंग*
240 राजा मंग
- | मौजा | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| <i>खेमा</i> | <i>346</i> | <i>45</i> | <i>83, 293,</i>
<i>83</i> | <i>2.42</i> <i>घ</i> |
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०- *61/2* पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - *12.2017*
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- *3 Do Raju*
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनियंथित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - *12-3/12-2013*
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

7

लगान रसीद संख्या

4965383

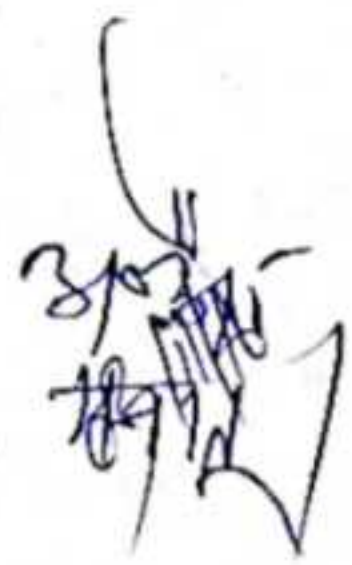
रसीद निर्गत तिथि

10/9/11

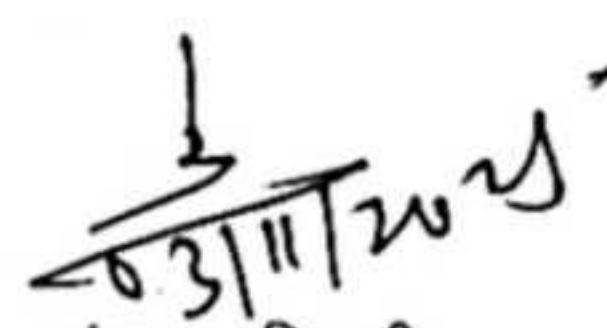
वसूली वर्ष

2002-203 to 2011-12

Chandra

आदेश की क्रम सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख डिप्लोमा किताबों प्रतिवादी - पथ - डिप्लोमा नती - हुआ। अतः पुनः खरीद नोरी ल नियम के, जिसकी तबिल का रहे। 	

आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-45, प्लॉट सं०- 83/A, 83/B रकबा क्रमशः 0.32 ए०, 0.84 ए० कुल रकबा 1.16 ए० पर अजीज मियां पत्नि सबीना बीबी पिता रजाक मियां के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 128/2002-03 के अन्तर्गत को मौजा-रहेया, थाना नं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-45, प्लॉट सं०- 83/A, 83/B, रकबा 1.16 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत अजीज मियां पत्नि सबीना बीबी पिता रजाक मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 61/II पर दर्ज होकर रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>Final</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में

अंचल अधिकारी
मगध, पलामू।

दिनांक:- अक्टूबर/सुदेहास्पद जमाबंदी डेरा नं० 124/2016-17
का ऑनच सन्निवेश के संबंध में।

महोदय,

उपलब्ध विवरण के संदर्भ में सूचना है कि मौजा
रहेला में आकर राजस्व कागजात एवं नक्शा प्र मिलान
करके अंचल अमीन के खान स्वलीप ऑनच किया। ऑनच
में पाला कि गैर खास खाना नं० 45 ब्लॉक नं० 83/A, 83/B
रकबा क्रमशः 0.32 ए०, 0.84 ए० कुल रकबा 1.16 ए० पर अजीज मिता

पति रसीना वीवी ए० - राजा मिता के द्वारा जोर-शोर
किया जा रहा है। उक्त डाय ऑनच के दौरान वन्देपल्ली
पंचायत एवं निगीर रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे
पता चलता है कि अनुपराध मेदिनीनगर के वन्देपल्ली वार्ड
नं० 128/02-03 के अन्तर्गत दिनांक — को मौजा रहेला
खाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाना नं० 45 ब्लॉक
नं० क्रमशः 83/A, 83/B रकबा 1.16 ए० वन्देपल्ली उक्त रैक्टर
अजीज मिता पति रसीना वीवी पिता राजा मिता के
नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेला
के मौज संपत्ती 1 के पेज नं० 6 1/2 पर दर्ज होकर वर्ष

तक रसीद निगीर हो रहा है। इस प्रकार उक्त
जमाबंदी सुदेहास्पद/अक्टूबर सलीप नहीं होता है।
अतः उक्त जमाबंदी को अक्टूबर जमाबंदी
में सुधार किया जा सकता है।


28/11/17

निष्पादक
— श्री 3/3/17
नं० 30 रिम
हल्का - III

Sch. XIV-F No. 180V

जिला का नाम पल्लारअनुमण्डल का नाम मेदेनीकाअंचल का नाम मनाहनाम सफल नाम मौजा मय रंजेशधाना का धाना नम्बर मनाह/345

रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रयती

नाम रयत मय वलियत जमाबन्दी

वां सकुनत नम्बर JB 4965363
41

P.N-6/H

खाता संख्या	खंसा संख्या
45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	83/A, 83/B, 293, 3

अराजी नकदी 02.42 रु.

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

अराजी नकदी 02.42 रु. अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली
अराजी नकदी 02.42 रु. अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वां हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल (नकदी)	25.00				25.00	25.00
गुजारी (भावली)	6.25				6.25	6.25
सेस	12.50				12.50	12.50
*सूद	12.50				12.50	12.50
मुतफरकात	6.25				6.25	6.25
मौजान	62.50				62.50	62.50

W-P

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया				मौतलबा हाल	फाजिल
		3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	2011-12		
माल (नकदी)				25.00	25.00		
गुजारी (भावली)				6.25	6.25		
सेस				12.50	12.50		
*सूद				12.50	12.50		
मुतफरकात				6.25	6.25		
मौजान अदायकारी				62.50	62.50	687.50	

(1) मौजान फुल (लफ्जों में)

(2) नाम देहिन्दा रंजेश

(3) कुल बकाया-

दस्तखत वां तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खामस माल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

अंचल अधिकारी, मनातु का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या125/2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम अजीज गिना 5/0 राजा गिना
श्री 10 - रहैमा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा रहैमा, थाना नं०.....
खाता नं०.....45 खेसरा नं०.....83, 29 रकबा.....2.42.81 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ठ
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूर्ति करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातु पलामू